

न्यायालय सिविल जज(सी0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागेश्वर।

फौजदारी वाद संख्या-T796/2022

कैलाश कुमार विरुद्ध राजेन्द्र सिंह

70/05.05.2025

पत्रावली पेश, पुकार कराई गई। परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश चन्द्र आर्या उपस्थित हैं। अभियुक्त उपस्थित नहीं हैं। पत्रावली आज वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत है।

परिवादी की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र कागज संख्या-89ख जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश चन्द्र आर्या द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुना। हाजिरी माफी केवल आज की तिथि के लिए स्वीकृत।

अभियुक्त को पुनः सम्मन जारी हो। सम्मन की तामीली हेतु पुलिस अधीक्षक बागेश्वर को पत्र प्रेषित किया जाये तथा पूर्व प्रेषित पत्र की प्रति भी प्रेषित की जावे। परिवादी आवश्यक पैरवी अविलम्ब करे।

पत्रावली वास्ते उपस्थिति अभियुक्त दिनांक-31.05.2025 को पेश हो।

(नीरज कुमार)

सिविल जज, (सी0डि0)/

न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागेश्वर।